भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 909

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज

†909. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक भाग के रूप में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण संबंधी डिजिटल वैक्सीन रिकॉर्ड रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) और यू-विन शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज शुरू करके आयुष्मान भारत का विस्तार करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इसके दायरे में लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पहलों के अंतर्गत कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किए जाने की संभावना है/लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने योजनाबद्ध विस्तार के कार्य को पूरा करने के लिए योजना के प्रारूप को सुदृढ़ बनाने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या पैनल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को शामिल करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) गेटवे बनाया है। एनएचसीएक्स का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा दावा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना, बीमा उद्योग में दक्षता बढ़ाना और रोगियों के अनुभव में सुधार करना है।

एनएचसीएक्स बीमाकर्ताओं, थर्ड पार्टी ऑडिट, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, लाभार्थियों और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं के बीच स्वास्थ्य दावा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करता है और सूचना विनिमय को सटीक और भरोसेमंद बनाते हुए अंतर-संचालन, मशीन-पठनीयता, लेखा परीक्षा और सत्यापन सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली बीमा उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाएगी, जिससे पॉलिसीधारकों और रोगियों को लाभ होगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी) द्वारा समर्थित, एनएचसीएक्स मानकीकृत और तेज़ स्वास्थ्य बीमा दावा प्रसंस्करण को सक्षम करेगा। दिनांक 21.07.2024 तक, 34 बीमाकर्ता और टीपीए वर्तमान में एनएचसीएक्स पर लाइव हैं और लगभग 300 अस्पताल एनएचसीएक्स पर अपने दावे भेजना शुरू करने के लिए तैयार हैं।

(ख) और (ग): वर्तमान में, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी आयु के हों शामिल हैं। यह योजना 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों के मध्यम और विशिष्ठ परिचर्या अस्पतालीकरण हेतु 5 लाख रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

(घ) से (च): 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य लाभ विस्तारित करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है।

*****